

06/02/20

अधिवक्ता प्रार्थी उपर नहीं प्रार्थी  
अधिवक्ता स्वयं उपर नहीं प्रार्थी  
अधिवक्ता को न्यायालय समक्ष में  
कार-2 रुक करके आवेदन लाया  
जाने पर भी प्रार्थी अधिवक्ता उपर  
नहीं आये। अतः एतद्वत् यद्यपि  
कि प्रारूपक 212 एन.डी.एन. 2020/15  
अनगती सीमती वली पंड मोहालाकव अंक  
वलीक प्रार्थी की अंक प्रेमी। अतः एतद्वत्  
में खारिज किया जाता है परन्तु में अंक  
कोई कार्य नहीं अपेक्षित नहीं है परन्तु  
वसत पं. नि. का क. 90 के 90 की जागत  
निर्देश की वली में शामिल है।

